

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 02/88/2015

श्रीयाराम बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 20.08.2018

आज पत्रावली न्यायालय में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि वो प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उनके द्वारा प्रकरण नोट प्रेस करते हुए प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)